झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
श्रम भवन, आई0टी0आई परिसर, हजारीबाग।

–: अल्पकालीन निविदा सूचना :–

हजारीबाग जिले में राज्य स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे व्यक्तियों यथा–निर्धन, अपंग, विधवा, भूमिहीन, निःसहाय, वृद्ध, वृद्धा एवं भिक्षुकों के बीच मुफ्त कम्बल वितरण हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत जिलों में कम्बलो की आपूत्ति हेतू कम्बल/वस्त्र के अधिकृत विक्रेता/थोक विक्रेता के रूप में **निबंधित, प्रतिष्ठित निर्माता, थोक आपूर्तिकर्त्ता** से मुहरबंद आमंत्रित की जाती है। क्रय किये जाने वाले कम्बल की अनुमानित संख्या लगभग 42,777 (बियालीस हजार सात सौ सतहत्तर) अद्द है।

क्रमांक	सामग्री का नाम	साईज	वजन
1	**2**	**3**	**4**
1	कम्बल (ऊनी)	90" x 60"	2.00कि0ग्रा0 (न्यूनतम)

निविदा दिनांक 05.12.2018 को 03.00 बजे अपराह्न तक **उपायुक्त, हजारीबाग के कार्यालय, हजारीबाग** में प्राप्त की जायगी तथा दिनांक 05.12.2018 को 04.00 बजे अपराह्न में **उपायुक्त, हजारीबाग के कार्यालय** कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी। निविदा का तकनीकी बीड तथा वित्तीय बीड अलग–अलग मुहरबंद लिफाफा में देना अनिवार्य होगा। निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। तकनीकी बीड सही पाये जाने के उपरांत ही निविदादाता का वित्तीय बीड खोला जायेगा।

निविदा की शर्ते :–

(क) तकनीकी बीड :–

1. निविदा के साथ अग्रधन के रूप मो0 1,10,000/–(एक लाख दस हजार रूपए) का बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र **उपायुक्त, हजारीबाग** के पदनाम से भुगतेय करना आवश्यक होगा।
2. निविदा के साथ वाणिज्य कर निबंधन, पैन संख्या की छाया प्रति, कम्बल/वस्त्र के थोक विक्रेता के लिए प्राधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर रिर्टन, स्वच्छता प्रमाण पत्र तथा जी.एस.टी. (GST) के अन्तर्गत निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
4. निविदादाता को पिछले तीन वर्ष औसतन टर्न ऑवर पचास लाख या अधिक का होना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को सामग्री आपूर्ति के पश्चात प्रस्तुत विपत्र के जॉचोपरांत नियमानुसार कर/करों के कटौती के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा।

6. कम्बल का नमूना समर्पित करना होगा जिसका न्यूनतम आकार 90" x 60" एवं वजन 2.00 कि0ग्रा0 होना आवश्यक है।
7. आपूर्तिकर्त्ता सभी कम्बलो में **"झारखण्ड सरकार, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग"** का लोगो (logo) लगवाना सुनिश्चित करेगें।

(ख) वित्तीय बीड :–

1. दर प्रति कम्बल (संलग्न नमुना के अनुसार) संबंधित प्रखण्ड मुख्यालय में पहुंचाकर अंकित करना होगा।

(ग) अन्य शर्ते :–

1. आपूर्ति किये गये कम्बल निविदा में प्रस्तुत किया गया नमूना के अनुरूप होना चाहिए। अगर किसी तरह की भिन्नता पाई गई, तो आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी एवं उनका भुगतान का दावा मान्य नही होगा। साथ ही साथ उनके द्वारा आपूर्ति किये गये कम्बलों एवं अग्रधन की राशि को जब्त कर लिया जायगा।
2. जिला प्रशासन के द्वारा नमूना में उपलब्ध पाये गये कम्बल तथा वितरण हेतू प्राप्त कम्बल में किसी भी स्तर पर उचित जाँच करने के पश्चात् ही भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
3. आपूर्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायगा।
4. निविदा में परिवाहन हाथालन सहित सभी प्रकार के कर को सम्मिलित कर दर अंकित करना अनिवार्य होगा।
5. आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता जिला क्रय समिति द्वारा चयनित नमुना के गुणवत्ता के अनुरूप होनी चाहिए।
6. सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत की तिथि से 07 दिनों के अन्दर कम्बल की आपूर्ति जिला मुख्यालय, संबंधित अनुमण्डल एवं जिले के सभी प्रखण्ड/अंचल कार्यालय पहुंचाकर आपूर्ति करना होगा। जिसके लिए अलग से कोई परिवहन एवं हथालन व्यय देय नहीं होगा।
7. आपूर्ति के उपरान्त संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से हस्तप्राप्ति लेकर उप– श्रमायुक्त, हजारीबाग के कार्यालय को समर्पित करना होगा।
8. इस निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित होगा।
9. नकली एवं खराब कम्बलों की आपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी ऐसा करने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।
10. जिला क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर पर एक से अधिक निविदादाता के बीच कार्यदेश देने का अधिकार जिला क्रय समिति का होगा।
11. विलम्ब से आपूर्ति करने पर निर्धारित 10 दिनों के उपरान्त 7 दिनों तक प्रतिदिन 0.5 प्रतिशत/प्रतिदिन की दर से भुगतेय राशि में से विलम्ब शुल्क की कटौती की जायगी, 8 दिन से अधिक विलम्ब होने पर प्रतिदिन 1 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क की कटौती की जायगी एवं निर्धारित 10 दिनों की अवधि के 15 दिन बाद एल–2 दर के निविदादाता से आपूर्ति प्राप्त करने हेतु आदेश निर्गत कर दिया जायगा एवं दोषी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

26/11/18

उप श्रमायुक्त,
हजारीबाग।

26/11/17

उपायुक्त,
हजारीबाग।